

डीएमए निदेशक ने ऑनलाइन समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

पीएम आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

UD director fiat to expedite work of PMAY(Urban)

PNS ■ RANCHI

Director of Urban Administration, Urban Development and Housing Department, Vijaya Jadhav, directed to complete pending houses under PMAY (Urban) in a review meeting here on Thursday.

Jadhav inquired about geo-tagging of houses and payment of amount, starting non-starter houses without delay and increasing the number of completed houses.

The Director held the meeting through video conferencing with Municipal Commissioners, Executive Officers, City Managers and CLTC experts of all the Municipal Bodies of the State.

Detailed review was done and necessary instructions were given. The main subject of the review was to report to the Directorate after completing the pending houses within a month. "I still have about 20,000 houses pending," she said.

the bodies to pay the amount of the beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) is being paid directly through PFMS, she added.

"About 3000 old houses are still in the non-starter stage in the State bodies, on which the Director expressed his displeasure and directed all the beneficiaries of non-starter housing to organize camps and motivate them to start housing. She instructed the Municipal Bodies to expedite the work of PMAY (Urban) in a review meeting here on Thursday.



Director, Urban Administration, Vijaya Jadhav holds a review meeting with Municipal Commissioners, Executive Officers, City Managers and CLTC experts of all the Municipal Bodies of the State on Thursday

शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाने का निर्देश

राज्य खूबो, रांची : सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। नगर विकास विभाग में नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशिका जारी की जा रही है।

करना एवं पूर्ण आवासों की संख्या को बढ़ाना था। समीक्षा बैठक वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 के लिए की जाएगी।

पीएम आवास का निर्माण तेज करें

रांची। राज्य में पीएम आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

गुरुवार को नगर विकास विभाग के अंतर्गत नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशिका जारी की गई।

आयुक्तों, कार्यपालक अधिकारियों, नगर प्रबंधकों और नगर प्रबंधकों के साथ विशेष बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

निदेशालय की निदेशिका में कहा गया है कि पीएम आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी नगर निकायों के पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा पीएम आवास योजना के लाभुकों को अविलम्ब करें किशतों का भुगतान

रांची। राज्य में पीएम आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

गुरुवार को नगर विकास विभाग के अंतर्गत नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशिका जारी की गई।

आयुक्तों, कार्यपालक अधिकारियों, नगर प्रबंधकों और नगर प्रबंधकों के साथ विशेष बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

निदेशालय की निदेशिका में कहा गया है कि पीएम आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

पीएम आवास योजना

पैसा लेकर जिन्होंने आवास नहीं बनाया, उनसे पैसा वापस लें, नहीं तो हटेंगे सिटी मैनेजर

रांची। रांची सहित राज्य के नगर निकायों में अब भी प्रधानमंत्री आवास योजना का हाल खस्ता है। केंद्र सरकार लगातार आवास स्वीकृत कर रही है, लेकिन निकायों में आवास का निर्माण कठुआ चाल से चल रहा है। इसी वजह से पूर्व में स्वीकृत किए गए लगभग 3 हजार आवास का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो सका है। इस पर नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशिका विजय जाधव ने सख्त रख लिया है। गुरुवार को आवास योजना की ऑनलाइन समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन नगर निकायों में आवास का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, वहां के सिटी मैनेजर और सीएलटीसी एक्सपर्ट का कॉट्रेक्ट समाप्त कर दिया जाएगा।

यहां है नगरीय निदेशालय का निर्देश

- जहां आवास शुरू नहीं हुआ, वहां के सिटी मैनेजर और सीएलटीसी एक्सपर्ट का कॉट्रेक्ट समाप्त होगा।
- जहां लाभुकों को अभी तक किशत का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें जल्द पैसा ट्रांसफर करें।

अभी भी राज्यभर में करीब 20 हजार आवास लिटन और रुफ लेवल पर ही रुका हुआ है। वहीं, कई शहरों में अब भी 3 हजार आवास का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, जिसमें रांची का आंकड़ा 1500 है।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार

Toll free no.: 1800-120-2929 | Website : www.dmajharkhand.in | Follow us on : f t i y @jharkhandDMA